ग्राम पंचायत हरिपुर, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024

भाग-एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश, राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत हरिपुर, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण कार्य विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के दौरान ग्राम पंचायत हरिपुर में निम्नलिखित प्रधान एवं सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्रीमती पूजा कुमारी	01-04-2022 से 31-03-2024

सचिव

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1.	श्रीमती अनीता	01-04-2022 से 29-10-2023
2.	श्री गोविन्द कुमार	30-10-2023 से 31-03-2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत हरिपुर, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है। जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु विशेष रूप से लाई जाती है।

क्र० स०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
01.	वेंडरों/आपूर्तिकर्ताओं से W, X फॉर्म प्राप्त किये बिना ही खनन सामग्री का अनियमित क्रय/ भुगतान करने बारे।	8.1	28.03
02.	आपूर्तिकर्ताओं से पत्थर के क्रय हेतु भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण अधिक/अनियमित भुगतान बारे।	8.3	1.17
03.	एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWMP) के रिवोलविंग फंड (परिक्रमा निधि) के तहत जारी ऋण राशि सम्भावित दुर्विनियोजन जन करने बारे।	9.1	3
04.	मनरेगा अनुदान के तहत सामग्री पर तय अनुपात से अधिक व्यय बारे।	9.2	11.36
05.	ग्राम पंचायत की सभा निधि से राशि का नकद भुगतान करने बारे।	9.3	0.15
06.	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय बारे।	9.4	9.44
07.	निर्माण कार्य के निष्पादन दौरान शेष बची सामग्री के दुरूपयोग बारे।	9.7	0.07
08.	ग्राम पंचायत द्वारा क्रय स्टोर/स्टॉक को स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज न करना।	9.9	24.59

09.	ग्राम पंचायत द्वारा महत्वपूर्ण रजिस्टरों अभिलेखों का संधारण न करने बारे ।	10.3	---------

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत हरिपुर का अंकेक्षण, अवधि 04/2020 से 03/2022 तक किया गया था जिसमें सम्मिलित अनिर्णीत पैरों के समायोजन बारे बार-बार मौखिक आग्रह तथा अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/02 दिनांक 19-11-2024 द्वारा सचिव को गत पैरों पर की कार्रवाई अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया लेकिन इस सम्बन्ध में सचिव द्वारा कहा कि, गत अंकेक्षण प्रतिवेदन पैरों पर शीघ्र कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं। गत अंकेक्षण पैरों पर कोई भी कार्रवाई न करना न केवल नियमों के प्रतिकूल है, अपितु इससे अंकेक्षण का प्रयोजन ही निष्फल हो जाता है यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है। विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन में शामिल पैरों पर कोई भी कार्रवाई न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुये इन पर शीघ्र ही कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये। वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :-

1. अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2020 से 31/03/2022 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1.	3	निर्णीत	-
2.	4.1 व 4.2	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
3.	5	अनिर्णीत	-
4.	6	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
5.	7	अनिर्णीत	-
6.	8	अनिर्णीत	-
7.	9	अनिर्णीत	-

8.	10	अनिर्णीत	-
9.	11	अनिर्णीत	-
10.	12	अनिर्णीत	-
11.	13	अनिर्णीत	-
12.	14	अनिर्णीत	-
13.	15	अनिर्णीत	-
14.	16	अनिर्णीत	-
15.	17 (क)	अनिर्णीत	-
16.	17 (ख)	अनिर्णीत	-
17.	18	अनिर्णीत	-
18.	19	अनिर्णीत	-
19.	20	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
20.	21	अनिर्णीत	-
21.	22	अनिर्णीत	-
22.	23	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
23.	24	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।

भाग- दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत हरिपुर, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री पवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 19-11-2024 से 25-11-2024 तक ग्राम पंचायत हरिपुर के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2022-2023	01/2023	04/2022
2.	2023-2024	07/2023	03/2024

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत हरिपुर, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹4800/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को प्रेषित करने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/13 दिनांक 25-11-2024 द्वारा अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत हरिपुर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4.1 **(अ) स्व:-स्त्रोत व अनुदान:-** ग्राम पंचायत हरिपुर के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक स्व:-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है।

1. स्व:-स्त्रोत & 5th SFC

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	कुल प्राप्ति	कुल योग	कुल व्यय	अंतिम शेष
2022-23	**2428738.00**	**741945.00**	**3170683.00**	**476868.00**	**2693815.00**
2023-24	**2693815.00**	**598548.00**	**3292363.00**	**823558.00**	**2468805.00**

2. अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	कुल प्राप्ति	कुल योग	कुल व्यय	अंतिम शेष
2022-23	**5232086.00**	**5412569.61**	**10644655.61**	**8634082.94**	**2010572.67**
2023-24	**2010572.67**	**3542814.00**	**5553386.67**	**4076708.00**	**1476678.67**

कुल योग (1+2) **₹2468805.00 + ₹1476678.67 =** **₹3945483.67**

(ब) ग्राम पचांयत हरिपुर का दिनांक 31/03/2024 को बैंक खातों में अन्तशेष विवरण

क्र०	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि 31-03-2024
1.	14 वां वित आयोग	99268100050807	HPGB BHADRAM	**0.00**
2.	RELIEF	99268100058491	HPGB BHADRAM	**5833.00**
3.	SBM/SBM	99268100050809	HPGB BHADRAM	**0.00**
4.	15 वां वित आयोग	99260100009993	HPGB BHADRAM	**1818885.00**
5.	MGPY	99268100050812	HPGB BHADRAM	**39997.00**
6.	5th SFC /SF	17910107021	HPSCB BHADRAM	**2669965.99**
7.	IWMP/WATER SHED	99260100001541	HPGB BHADRAM	**0.00**
8.	IAY	99268100061992	HPGB BHADRAM	**16858.00**
9.	RAY/AAY	99268100061993	HPGB BHADRAM	**2047.00**
10.	SDP/DCP	99268100050811	HPGB BHADRAM	**13993.40**

11.	VKVNY	99268100050810	HPGB BHADRAM	**45742.04**
12.	12 वां वित आयोग	99268100050806	HPGB BHADRAM	**9305.16**
13.	PMAGY	99260100010086	HPGB BHADRAM	**36010.40**
			Cash in hand (SF)	**0.00**
			TOTAL	**₹4658636.99**

अन्तर (ब-अ) 4658636.99 - ₹3945483.67 = ₹ 713153.32

5.1 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹7.13 लाख का भारी अन्तर :-

अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत हरिपुर, द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **7(3) व 10(1)** की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2024 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹713153.32 का अन्तर रोकड़ बही में कम शेष के रूप में पाया गया। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4.1 में दिया गया है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 22-11-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

5.2 निर्धारित सीमा से अधिक नकद हस्तगत राशि रखने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 10(3) में वर्णित प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत का सचिव मात्र ₹1000 की राशि ही हस्तगत अथवा नकद तौर पर रख सकता है। ग्राम पंचायत हरिपुर के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, सचिव द्वारा उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना करते हुए निर्धारित तय नकद

सीमा से अधिक की राशि निम्न वर्णित माहों के अंत तक नकद रखी गई है जोकि नियमाविरूद्ध एवं अनुचित है।

क्रम संख्या	माह एवं वर्ष	राशि हस्तगत	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या
01	30-04-2022	34457	91
02	31-08-2022	70297	93
03	30-09-2022	70757	02
04	31-10-2022	79797	02
05	30-11-2022	68959	05
06	31-12-2022	64060	06
07	31-01-2023	80184	09
08	31-07-2023	11065	21
09	31-10-2023	17315	27

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 08 दिनांक 22-11-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया गया कि, भविष्य में निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि हस्तगत नहीं रखी जायेगी। प्रस्तुत उत्तर सन्तोषजनक नहीं है। अत: उक्त अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

6.1 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि ₹14.77 लाख का अवरोधन।

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2024 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹1476678.67 की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा।

उक्त राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 22-11-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि, भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा। अत: अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹2.56 लाख की वसूली न करने बारे।

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा।

ग्राम पंचायत हरिपुर के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व गत बकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चूककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेखानुसार निम्न राशि ₹256190 वसूली हेतु शेष थी।

वित्तीय-वर्ष	गत शेष	कुल परिवार	दर	वर्ष के दौरान मांग	कुल मांग	कुल प्राप्त राशि	बकाया राशि
2022-23	157750	760	100	76000	233750	460	233290
2023-24	233290	769	100	76900	310190	54000	256190

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-12 दिनांक 25-11-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उत्तर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष में जमा न करना

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिनांक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनांक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण के शुल्क की वसूली करने उपरान्त वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

अभिलेखों के अंकेक्षण में पाया गया कि, उक्त पंचायत सचिव द्वारा निम्न विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि ₹6100/- को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया था अपितु इसे पंचायत के बैंक खाते में रखा गया था जोकि उक्त नियमानुसार अनुचित है।

वित्तीय वर्ष	कुल पंजीकृत विवाह	APL Rate		राशि	BPL Rate		राशि	कुल राशि सामान्य व BPL
		Without LateFee	With LateFee		Without Late Fee	With LateFee		
2022-23	27	18@200	01@400	4000	08@25	-	200	4200
2023-24	13	09@200	-	1800	04@25	-	100	1900
कुल योग	**40**	**27@200**	**01@400**	**5800**	**12@25**	-	300	**6100**

इस सम्बन्ध में जारी अधियाचना संख्या-12 दिनांक 25-11-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया कि, विवाह पंजीकरण शुल्क को पंचायत के बैंक खाते में रखा गया है तथा विलम्ब शुल्क के वसूली नहीं गई राशि की प्रतिपूर्ति करके इसे शीघ्र ही सरकारी राजकोष में जमा करवा दिया जायेगा। अत: उपरोक्त राशि ₹6100 की वसूली उपरान्त सम्बन्धित

खाते/कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा गत वर्षों में इस प्रकार से सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाई गई राशि को भी जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये। भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

7.3 सामुदायिक भवन (जंज-घर) के सम्बन्ध में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे।

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव द्वारा समस्त राजस्व की नियमित वसूली व उसे समय पर जमा करवाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त हि०प्र० पंचायती राज विभाग के कार्यालय आदेश संख्या पीसीएच-एचसी (7)10/30-3031-30436 दिनांक 07-09-2008 द्वारा ग्राम पंचायत के व्यावसायिक परिसरों/भवनों को किराये पर देने हेतु सम्बन्धित उपमंडलाधिकारी/तहसीलदार की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जानी आवश्यक है ताकि भविष्य में किसी प्रकार के किसी क़ानूनी विवाद से बचा जा सके एवं कोई वैधानिक कठिनाई न हो।

ग्राम पंचायत हरिपुर के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत का अपना एक सामुदायिक भवन (जंजघर) है जिसे ग्राम पंचायत द्वारा शादी, पार्टी व अन्य सामाजिक व धार्मिक आयोजनों हेतु किराया पर दिया जाता है जिससे प्राप्त आय को स्व:-स्त्रोत के खाते में जमा किया जाता है। यह पंचायत की अपनी आय का मुख्य साधन है परन्तु इससे सम्बन्धित निम्नलिखित कई अनियमितताओं की पुनरावृत्ति की जा रही है :-

1. सामुदायिक भवन को उक्त नियमानुसार किराये पर देनें से पूर्व सम्बन्धित उपमंडलाधिकारी/ तहसीलदार की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जानी आवश्यक है जोकि उक्त पंचायत द्वारा नहीं की जा रही है।

2. नियमानुसार व्यवसायिक परिसरों/भवनों का किराया लोक निर्माण द्वारा निर्धारित न्यूनतम दरों से कम न हो एवं किराये में वृद्धि प्रावधान **किराया नियंत्रण अधिनियम 1987** के अनुरूप होना जरुरी है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त सरकारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना नहीं की जा रही है।

3. अंकेक्षण अवलोकन उपरान्त पाया गया कि उक्त भवन के किराये की दरें सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप न होकर पंचायत द्वारा मनमाने तरीके से वसूली जा रही है। जिससे सरकारी दिशा-निर्देशों की अवहेलना के साथ-साथ इससे प्राप्त आय के दुर्विनियोजन की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है।

4. उक्त भवन से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख पंचायत द्वारा निर्धारित प्रारूप पर तैयार नहीं किया जा रहा है। जिसके अभाव में उक्त सम्पत्ति से पंचायत को कुल प्राप्त वास्तविक आय,व्यय इत्यादि की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

इस गम्भीर अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 12 दिनांक 25-11-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, उक्त भवन जंजघर के सम्बंध में नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है चूँकि उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी आपत्ति दर की गई थी परन्तु इस बारे कोई भी अपेक्षित कार्रवाई न किया जाना अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: इस सम्बन्ध में शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.1 आपूर्तिकर्ताओं/वेडरों से W, X फॉर्म प्राप्त किये बिना ही राशि ₹28.03 लाख की खनन सामग्री का अनियमित क्रय/भुगतान करने बारे।

हि० प्र० माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी कांट्रेक्टर/वेंडर द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर फॉर्म W या X प्रस्तुत करना अनिवार्य था अन्यथा आपूर्तिकर्ता से रॉयल्टी की वसूली 25 % पेनल्टी के साथ की जानी प्रावधित की गया थी। परन्तु निदेशक पंचायती राज व ग्रामीण विकास के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 20-11-2023 के अनुसार माननीय हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश के आदेश CWP No. 868 of 2023 की अनुपालना में किसी कांट्रेक्टर से खनन सामग्री की आपूर्ति/क्रय पर वैध ट्रांजिट पास (फॉर्म-W) या सप्लीमेंट्री ट्रांजिट पास (फॉर्म-X) उपलब्ध करवाने उपरान्त ही भुगतान किया जाना अनिवार्य था।

परन्तु ग्राम पंचायत हरिपुर के चयनित माहों के अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि, पंचायत द्वारा वेंडरों/ठेकेदारों से राशि ₹2803196 (संलग्न **परिशिष्ट "4"** के अनुसार) की खनन सामग्री जैसे रेत,बजरी व पत्थर इत्यादि की आपूर्ति बिना W,X-फॉर्म प्राप्त किये ही ली गई जिसके परिणामस्वरूप उक्त राशि का अनियमित भुगतान किया गया जोकि उक्त आदेशों/नियमों की पूर्णत: अवहेलना है।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 05 दिनांक 22-11-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान W,X फॉर्म प्राप्त किये बिना ही किया गया लेकिन इस सम्बन्ध में शीघ्र ही नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अभिलेखों के अवलोकन व प्रस्तुत उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि, ग्राम पंचायत में निष्पादित कार्यों हेतु क्रय खनन सामग्री के आपूर्ति स्त्रोत की वैधता सुनिश्चित किये बिना ही भुगतान किया गया। जोकि उक्त आदेशों व नियमों के प्रतिकूल है। चूँकि बिना W, X फॉर्म के क्रय से यह भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि वेंडर, जिससे क्रय किया गया वह खनन सामग्री के विक्रय हेतु अधिकृत था अथवा नहीं जिससे अवैध खनन के साथ-साथ खनन सामग्री पर सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व GST, रॉयल्टी की वित्तीय हानि की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है। यह एक गम्भीर अनियमितता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है। अत: उक्त अनियमितता को समर्थित अभिलेखों सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.2 संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकार को राशि ₹6231 की वित्तीय हानि बारे।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 (I) के अनुसार आहरण व संवितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व TDS की कटौती करना एवं उसे सरकारी कोष में समयबन्ध तिथि को जमा करवाना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत हरिपुर के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न विवरणानुसार राशि ₹311526/- का भुगतान किया गया। परन्तु उक्त भुगतान करते समय स्त्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं की गई थी । जिससे आयकर अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना हुई जिसके फलस्वरूप सरकारी राजस्व के तौर पर राशि ₹6231/- (2%) की वित्तीय हानि आहरण व संवितरण अधिकारी के कारण हुई है ।

S.No.	Vr.No/ Date	Grant/ Head	Detail of Supplier	Service Detail	Amount	TDS @ 2%	Applicable act & Sec.
1.	07 / 09-05-22	15TH FC	M/S Gopal Traders, VPO Pukhri ,Chamba	Hiring Charges of JCB	148000	2960	Income Tax Act 1961
2.	34/ 17-03-23	15TH FC	M/S Luxmi Hardware VPO Sarol, Chamba	Shuttring On rent	37375	748	Section 194 I
3.	Nil/ 01-03-24	MGNREGA	M/S Luxmi Hardware VPO Sarol, Chamba	Shuttring On rent	126151	2523	IT ACT 1961 Sec. 194C
				TOTAL	311526	6231	

इस अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 22-11-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, टी.डी.एस.के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के अभाव में इसकी कटौती नहीं की गई परन्तु इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है ।

अत: आहरण व संवितरण अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में टी.डी.एस की कटौती किये बिना किये गये भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा आयकर अधिनियमों के तहत आहरण व संवितरण अधिकारी से उक्त राशि की वसूली ब्याज सहित करके तुरंत सरकारी

राजकोष में जमा करवाया जाये इसके अतिरिक्त इस प्रकार के अन्य मामलों में अपने स्तर पर गणना करके राशि को जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया जाये।

8.3 आपूर्तिकर्ताओं से पत्थर के क्रय हेतु भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण राशि ₹1.17 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारे।

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (HPPWD) के नियम, सामग्री का परिवहन के अंतर्गत क्रम 2.1.2.13 में पत्थरों (Stone/Blouders) की आपूर्ति में रिक्तियों (Voids) की 12.5% की दर से कटौती किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत हरिपुर के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट "7"** के अनुसार राशि ₹932279 के पत्थरों का क्रय किया गया परन्तु आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान से पूर्व नियमानुसार अपेक्षित Voids की कटौती नहीं की गई थी जिसके परिणाम स्वरूप राशि ₹116535 का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 05 दिनांक 22-11-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, जानकारी न होने के अभाव में पत्थरों के बिलों में Voids की कटौती किये बिना ही भुगतान किया गया इस सम्बन्ध में शीघ्र ही अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है।

उक्त तथ्यों व प्रस्तुत उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा न केवल उक्त बिलों बल्कि समस्त बिलों में बिना Voids कटौती के भुगतान किया गया जोकि न केवल उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना हैं अपितु इससे आपूर्तिकर्ता को अधिक भुगतान भी किया गया। अत: उक्त अनियमिता को समर्थित अभिलेखों व ठोस तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अपेक्षित कटौती न करने के कारण हुई वित्तीय हानि की प्रतिपूर्ति करके कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.4 कनिष्ठ अभियंता स्तर पर निष्पादित राशि ₹58.40 लाख के निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका इत्यादि प्रस्तुत न करना ।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है ।

ग्राम पंचायत की चयनित माहों की लेखा परीक्षा के दौरान निम्न विवरणानुसार राशि ₹5840000 के करवाए गए कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन, FRA व प्रपत्र-34 इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए। जिसके अभाव में किये गए कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

Sr.no/Grant	Work Detail	Sanction	Documents not presented
1. 15TH FC	C/o Water Storage Tank Samuien	125000	MB, Estimate, Work Order and Technical sanction order, UCC, Form 13C inFormat-34, FRA.etc
2.15th FC	C/o Water Storage Tank Dumala	125000	
3.15th FC	C/o Pucca Path Samuien	174000	
4.15th FC	C/o Retaining Wall Playground Haripur	300000	
5.MNREGA	C/o Play Ground Haripur	1000000	
6.MNREGA	C/o Boundary Wall with Fencing Play ground Haripur	1000000	
7. MNREGA	C/o Pucca Ambulance Road Kanchi Mod to Galokra	916000	
8. MNREGA	C/o Ambulance Road Shiv Mandir To Surinder House	1000000	
9.14th FC	C/o Two Toilets Janj Ghar	100000	

10.14th FC	C/o Pucca Path Parel Pul to Sidhpura	100000	
11.14TH FC	C/o Pucca Path Main Road Haripur to Kohli	150000	
12. 14th FC	C/o Renovation of Panchayat Ghar	500000	
13. 14th FC	C/o Pucca Path Dhanwad-2nd	150000	
14. 14th FC	C/o Drain Work Sidhpura	100000	
15.14th FC	C/o Drain Work Badotra House	100000	
	TOTAL	**5840000**	

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 14-11-2024 के प्रत्युत्तर में कहा कि, उक्त अभिलेख कनिष्ठ अभियंता के पास पड़े हैं। अंकेक्षण बारे उने सूचित कर दिया गया था परन्तु न तो उन्होने अभिलेख पंचायत को प्रेषित किये और न ही वे स्वयं उपस्थित हुए। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है चूँकि उक्त कर्मचारियों द्वारा करवाये गए कार्यों के अभिलेखों का पंचायत में उपलब्ध न करवाना आपत्तिजनक है। अत: उक्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध न करवाने का औचित्य स्पष्ट करते हुए न्यायोचित ठहराया जाये तथा मामले में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.1 एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWMP) के रिवोलविंग फंड (परिक्रमा निधि) के तहत जारी ऋण राशि ₹3 लाख का सम्भावित दुर्विनियोजन करने बारे।

ग्राम पंचायत के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा बारह स्वयं सहायता समूहों को संलग्न **परिशिष्ट "8"** के अनुसार प्रति समूह ₹25000 की दर से कुल ₹300000 की राशि रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 50 व 51 वाउचर संख्या 02 से 13 दिनांक 30-11-2022 को ऋण के दौर पर जारी की गई थी। लेकिन जारी की गई ऋण राशि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख यथा कार्यालय आदेश, अभिस्वीकृति, करारनामा, ऋण हेतु आवेदन इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये इसके अतिरिक्त प्रदत ऋण राशि की प्रतिपूर्ति लगभग दो वर्षो की अवधि बीत जाने पर भी पंचायत द्वारा नहीं की गई और न ही इसकी वापिसी हेतु कोई प्रयास किये गए है जोकि संदिग्ध प्रतीत होता है।

इस गम्भीर अनियमितता के सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनांक 23-11-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, IWMP के तहत जारी ऋण राशि के अभिलेख पंचायत में मिल नहीं रहे हैं तथा अभी SHG (स्वयं सहायता समूहों) से ऋण राशि को भी वापिस नहीं लिया गया है लेकिन इस सम्बन्ध में शीघ्र ही अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

यह काफी गम्भीर वित्तीय अनियमितता है इसमें ऋणों के तौर पर आबंटन राशि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख का पंचायत रिकार्ड में न पाया जाना एवं ऋणों के तौर दर्शाई आबंटित राशि की दो वर्षों का समय बीत जाने उपरान्त भी प्रतिपूर्ति न किया जाना न केवल IWMP के दिशा-निर्देशों के प्रतिकूल है अपितु इससे उक्त राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है। यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है। अत: उक्त आबंटित राशि की ब्याज सहित प्रतिपूर्ति करके सम्बन्धित खाते में शीघ्र जमा करवाई जाये एवं अन्य ऐसे मामलों की विभागीय स्तर पर जाँच उपरान्त अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.2 मनरेगा अनुदान के अंतर्गत सामग्री पर तय अनुपात से राशि ₹11.36 लाख का अधिक अनियमित व्यय करने बारे।

मनरेगा परिचालन दिशा-निर्देश 2013 (MNREGA Operatinal Guidlines 2013) **नियम 7.4** के अंतर्गत पंचायत स्तर पर मजदूरी व सामग्री को तय अनुपात में खर्च किये जाने के नियम प्रावधित हैं। जिसके अंतर्गत मजदूरी लागत का भौतिक लागत से अनुपात अधिनियम में निर्धारित 60:40 (मजदूरी व सामग्री) के न्यूनतम मापदंड से कम नहीं होना चाहिए।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार सामग्री पर तय अनुपात से राशि ₹1135780 (35.12%) का अधिक व्यय किया गया। चूँकि सामग्री पर तय अनुपात से अधिक व्यय से रोजगार का कम सृजन हुआ परिणामस्वरूप ग्राम वासियों को कम कार्य दिवस मिले। जोकि न केवल उक्त दिशा-निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु

मनरेगा योजना के मौलिक उदेश्य "ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने" को भी हतोत्साहित करता है।

क्रम सं०	वित्तीय वर्ष	कुल व्यय (लाखों में)	मजदूरी पर व्यय (लाखों में)	मजदूरी पर व्यय प्रतिशतता	सामान पर व्यय (लाखों में)	सामान पर व्यय प्रतिशतता
1.	2023-24	32.34	8.04	24.88 %	24.29	75.12%
	सामग्री पर तय अनुपात से अधिक व्यय				**1135780**	**+35.12%**

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-11 दिनांक 23-11-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा कि, मनरेगा के अंतर्गत करवाये गए कार्यों में सामग्री का अनुपात अधिक होने के कारण सामग्री पर अधिक व्यय किया गया अधिक व्यय की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ली जाएगी। अत: उक्त अनियमितता को ठोस तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.3 ग्राम पंचायत की सभा निधि से राशि ₹0.15 लाख का नकद भुगतान करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमवाली 2002 के नियम **17(2)** के अनुसार एवं प्रधान सचिव वित्त हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या Fin.(C)A(3)-5/2004 के अनुसार राशि ₹10000 के ऊपर के समस्त भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से किये जाने अपेक्षित हैं।

ग्राम पंचायत हरिपुर के चयनित माहों के व्यय वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि, पंचायत द्वारा सभा निधि से निम्न विवरणानुसार राशि ₹15307 का नकद भुगतान किया गया था।

Sr.	Supplier' Detail	Vr/Date	Material	Amount
1.	M/S Sambyal Enterprises Chamba	45/ 28-03-24	Printer Cartage	5080

2.	M/S Plaha General Store, Chamba	44/ 28-03-24	Stationery	4950
3.	M/S Usha Electrical Bhadram, Chamba	46/ 28-03-24	Room Heater & LED	5277
			TOTAL	**₹15307**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10 दिनांक 22-11-2024 द्वारा उक्त गम्भीर प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, भविष्य में नियमानुसार ही भुगतान किये जायेंगे। चूँकि नियमानुसार भुगतान आपूर्तिकर्ता के बैंक खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से किया जाना अपेक्षित था। लेकिन उक्त प्रकरण में आपूर्तिकर्ता को नकद में भुगतान किया गया तथा बिल में दर्शाई सामग्री का स्टॉक में इन्द्राज न पाया जाना भी संदिग्ध व अनुचित है।

अत: उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण ठोस तथ्यों के आधार पर उक्त व्यय को न्यायोचित ठहराते हुए अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ प्रेषित करें अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर उक्त राशि की प्रतिपूर्ति करके शीघ्र ही सम्बन्धित खाते में जमा करवा दी जाये तथा कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.4 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही राशि ₹9.44 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें यथा निविदायें,कुटेशन (Quatations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है।

परन्तु ग्राम पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट "3"** के अनुसार राशि ₹944056/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय से संबंधित वांछित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि ऐसा प्रतीत होता है कि

ग्राम पंचायत द्वारा क्रय विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया है जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 22-11-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। उत्तर संतोषजक नहीं है।

प्रस्तुत उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त क्रय विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया। जोकि वित्तीय नियमों की स्पष्ट अवहेलना है अत: उक्त किये क्रय को समर्थित अभिलेखों सहित सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.5 सभा निधि (स्व:-स्त्रोत) से राशि ₹0.14 लाख का अनियमित व्यय करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,सम्परीक्षा,संकर्म,कराधान एवं भते) नियम 2002 के **नियम 8(1)** के अनुसार बजट उपबंधों के अधीन समनुदेशित कर्तव्यों और कृत्यों के अनुपालन के लिये खाता- क से ग्राम पंचायत द्वारा उपगत व्यय, ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करने उपरान्त ग्राम पंचायत निधि पर विधि मान्य प्रभार होगा।

ग्राम पंचायत हरिपुर के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत द्वारा तिरंगा झंडों के क्रय हेतु वाउचर संख्या-12 दिनांक 20-09-2022 को राशि ₹14125 का भुगतान सभा निधि में से किया गया जबकि नियमानुसार यह भुगतान वितरित झंडों से एकत्रित राशि में से किया जाना अपेक्षित था। जोकि न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है, अपितु यह संदिग्ध भी प्रतीत होता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 22-11-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, सभा निधि से तिरंगा पर व्यय की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ले ली जाएगी।

अत: किये गए उक्त व्यय से सम्बन्धित आवश्यक कार्रवाई करके व सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति लेकर उक्त व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा उक्त राशि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके सभा निधि में शीघ्र जमा करवाया जाये एवं भविष्य में इस प्रकार के गलती के पुनरावृत्ति न हो इसका भी ध्यान रखा जाये तथा कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.6 15 वें वित्तायोग के अंतर्गत राशि ₹1342 का अधिक भुगतान करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **चैप्टर- 9 नियम 76** के अनुसार सम्बन्ध पंचायत का सचिव यदि कोई पंचायत निधि से किये गए अति संदाय/अधिक भुगतान, चाहे सदभाव से किया गया है, की तत्पर वसूली करने का जिम्मेदार होगा।

ग्राम पंचायत हरिपुर के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा सिविल सप्लाई से सीमेंट क्रय पर प्राप्त बिलों के एवज में निम्न विवरणानुसार राशि ₹1342 का अधिक भुगतान किया गया।

Sr.no/ Grant	Vr.No/date	Actual paid as performa bill	As per bill payment	Excess paid (3-4)
1.15th FC	01/13-04-2022	88704.00	88365.00	339.00
2. 15th FC	02/13-04-2022	36828.00	36579.00	249.00
3.15th FC	09/12-05-2022	16440.00	16345.00	95.00
4.15th FC	10/12-05-2022	16440.00	16345.00	95.00
5. 15th FC	13/25-05-2022	25893.00	25685.00	208.00
6.15th FC	08/12-05-2022	11097.00	10741.00	356.00
	Total	**₹195402.00**	**₹194060.00**	**₹1342.00**

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10 दिनांक 22-11-2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा उक्त तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली शीघ्र ही कर ली जाएगी। अत: उक्त राशि की प्रतिपूर्ति करके सम्बन्धित खाते में शीघ्र जमा करवा दी जाये एवं भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.7 ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्य C/O Drain Work Nakhli Head 15th FC MB No.16711 Page 22-23 के दौरान बची सामग्री का दुरूपयोग ।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार** सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है ,उसका यथास्थिति, परिक्षण, गणना, माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा।

ग्राम पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, उक्त निर्माण कार्य की मापन पुस्तिका के अवलोकन में पाया गया कि, निर्माण कार्य हेतु कुल 146 सीमेंट बैगों का क्रय किया गया था परन्तु मापन पुस्तिका में खपत कुल 130 बैगों की हुई इस प्रकार कुल शेष बकाया 16 सीमेंट बैग जिनकी कुल लागत ₹7472(16x467) बनती हैं उसको न तो स्टॉक में शेष दर्शाया गया और न ही इसकी आगे कहीं खपत दिखाई गई।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 22-11-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ वस्तुगत स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि, निर्माण कार्यों के दौरान शेष बचे सीमेंट बैगों की प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी। उक्त तथ्यों व प्रस्तुत उत्तर के दृष्टिगत ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त निर्माण कार्य के दौरान शेष बचे सीमेंट बैगों का दुरूपयोग किया गया है। अत: उक्त सामग्री की प्रतिपूर्ति नियमानुसार करके शीघ्र ही खाते में जमा करवा कर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.8 बिना प्रॉपर/टैक्स बिलों के राशि ₹25.25 लाख के स्टोर/स्टॉक का अनियमित क्रय व भुगतान करने बारे।

ग्राम पंचायत हरिपुर के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट "5"** के अनुसार राशि ₹2525927 का भुगतान विभिन्न सामग्रियों के क्रय की एवज में किया गया परन्तु बिलों के अवलोकन में पाया गया यह बिल प्रॉपर/टैक्स बिल न होकर केवल केश मैमों एवं परफोर्मा बिल हैं। इसके अतिरिक्त उक्त वेंडरों की GST पंजीकरण प्रतिलिपि भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे कि यह भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि उक्त विक्रेता GST धारक है या नहीं ? जिससे कि, इनकी सत्यता एवं

प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी इस प्रकार के बिलों की कुछ प्रतिलिपियाँ अंकेक्षण प्रतिवेदन पर संलग्न हैं।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 04 दिनांक 22-11-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि कहा कि, पूर्ण जानकारी न होने के अभाव में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अधिकतर केश मैमों व परफोर्मा बिलों पर ही दावे किये गये जिनका भुगतान पंचायत द्वारा GST सहित किया गया परन्तु इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि वास्तव में GST को सरकारी राजकोष में जमा करवाया जा रहा है अथवा नहीं ? उक्त मामले की पंचायत स्तर पर छानबीन करके कृत कार्रवाई से अंकेक्षण विभाग को शीघ्र अवगत करवा दिया जायेगा। अत: इस सम्बन्ध में अपना पक्ष ठोस तथ्यों व अभिलेखों सहित यथाशीघ्र प्रस्तुत करते हुए उक्त किये गए व्यय को न्यायोचित ठहराया जाये तथा इसे अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ शीघ्र ही प्रेषित किया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.9 राशि ₹24.58 लाख के क्रय स्टोर/स्टॉक को स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज न करना।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार** सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है, उसका यथास्थिति, परिक्षण, गणना, माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा एवं नियम 70 से 72 में वर्णित विभिन्न नियमों की अनुपालना आवश्यक है।

ग्राम पंचायत द्वारा अन्य अनुदानों हेतु संधारित स्टॉक रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि, पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट "6"** के अनुसार राशि ₹2458924 के स्टोर/स्टॉक को स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज नहीं किया गया था आगे अवलोकन में यह पाया गया कि, पंचायत द्वारा स्टॉक रजिस्टर व बिल रजिस्टर का संधारण नहीं किया गया था जोकि न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना हैं अपितु इससे क्रय स्टोर/स्टॉक की दुर्विनियोजन की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 22-11-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा सूचित किया कि स्टोर/स्टॉक के भंडारण रजिस्टर व बिल रजिस्टर का शीघ्र ही संधारण कर लिया जायेगा। चूँकि यह न केवल नियमाविरुद्ध है अपितु स्टॉक व बिल रजिस्टर न होने के अभाव में सामग्री विशेष के दुरूपयोग की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। अत: नियमाविरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.10 पंचायत की माप पुस्तिकाओं के रख-रखाव में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के चैप्टर-11 के नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ट अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत के तकनीकी स्तर पर करवाए गए निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं के अवलोकन में पाया गया कि यह उक्त नियमानुसार कनिष्ट अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त माप पुस्तिका में तकनीकी सहायक द्वारा संधारित माप पुस्तिकाओं में ओवरराइटिंग, कटिंग की गई थी जिससे कि अभिलेख की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी।

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10 दिनांक 22-11-2024 के प्रत्युत्तर में कहा गया कि भविष्य में उक्त अनियमितताओं की पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं हैं उक्त अनियमितताओं के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.11 मनरेगा मटेरियल व वर्क रजिस्टर के संधारण में पाई गई विविध अनियमिततायें एवं मनरेगा रोकड़ बही को प्रस्तुत न करने बारे।

(क) ग्राम पंचायत के मनरेगा ऑनलाइन मटेरियल रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि, पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के तहत वित्तीय वर्षो 2022-2023 एवं 2023-2024 के दौरान कुल ₹2683250.65 का स्टोर/स्टॉक क्रय किया गया था परन्तु उक्त ऑनलाइन रजिस्टर में क्रय स्टोर/स्टॉक को तकनीकी सहायक द्वारा न तो सत्यापित किया गया था और न ही इसके

अथशेष, अन्तशेष तथा स्टॉक रजिस्टर प्रविष्टि का विवरण भरा गया है इसके अतिरिक्त मनरेगा ऑनलाइन वर्क रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि, इसमें कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि को नहीं भरा जा रहा है जोकि न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु इसके अभाव में स्टोर/स्टॉक के दुर्विनियोजन जन व कार्य में किसी प्रकार के अनाधिकृत समायोजन प्रविष्टि की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है।

(ख) ग्राम पंचायत के मनरेगा अनुदान की वित्तीय वर्ष 2022-23 की रोकड़ बही को लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया आय-व्यय विवरण को ऑनलाइन वित्तीय विवरण से तैयार किया गया है जिससे कि मनरेगा की रोकड़ बही का सत्यापन नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनांक 23-11-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा सूचित किया कि, मनरेगा अनुदान मटेरियल व वर्क रजिस्टर को भविष्य में पूर्ण रूप से भरा जायेगा तथा मनरेगा अनुदान की रोकड़ बही पंचायत में उपलब्ध न होने के कारण अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की जा सकी। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: नियमाविरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.12 मनरेगा के अंतर्गत किये भुगतानों के Fund Transfer Orders को प्रस्तुत न करना।

ग्राम पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण में मनरेगा के अंतर्गत किये गए भुगतान के FTOs (fund transfer orders) को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि जो बिल पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गए हैं वास्तव में उन्ही को भुगतान किया गया है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11 दिनांक 23-11-2024 को सचिव को उक्त FTOs को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया कि मनरेगा भुगतानों के FTOs पंचायत में उपलब्ध नहीं है इस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये जा सकते। उत्तर संतोषजनक नहीं है अत: FTOs का पंचायत में न पाया जाना को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.1 रोकड़ बहियों के रख-रखाव/संधारण में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़ बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत हरिपुर के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा 15वें वित्तायोग के अतिरिक्त केवल अन्य समस्त अनुदानों की केवल मैनुयल संधारित रोकड़ बहियों को ही अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। जबकि विभाग के दिशा-निर्देशों अनुसार रोकड़ बहियों का संधारण e-ग्राम स्वराज में ही किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण में प्रस्तुत मैन्युअल संधारित रोकड़ बहियों का रख-रखाव उचित तरीके से नहीं किया गया था इसमें अत्यधिक कटिंग, फ्लुडिंग इत्यादि की गई थी तथा इसमे न तो अथशेष व अन्तशेष लिए गए हैं और न ही इसमें दर्ज/प्रविष्ट Transctions के प्रगतिशील योग किये गए हैं जोकि न केवल लेखांकन नियमों के विरुद्ध हैं अपितु इससे पंचायत द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट 1 व 2** में लिए अथशेषों व अंतशेषों को सत्यापित नहीं किया जा सका। ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़ बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही व उपलब्ध करवाई गई मासिक आय-व्यय तालिका, वार्षिक वित्तीय विवरण तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-10 दिनांक 22-11-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया कि, 15वें वित्तायोग के अतिरिक्त अन्य रोकड़ बहियों का संधारण मेनुअल माध्यम से किया जा रहा है एवं ऑनलाइन संधारित रोकड़ बहियाँ अपूर्ण होने के कारण वह लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की जा सकी। प्रस्तुत उत्तर सन्तोषजनक नहीं है अतः उक्त मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

10.2 पंचायत के वार्षिक लेखा खातों, आय-व्यय विवरणों एवं बैलेंस शीट इत्यादि को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे।

ग्राम पंचायत हरिपुर के चयनित माहों के अंकेक्षण में पंचायत द्वारा संधारित किये जाने वाले आवश्यक अभिलेखों यथा वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ट्रायल बैलेंस, आय एवं व्यय विवरण, बैलेंस शीट,बैंक बेलेंस सर्टिफिकेट एवं अन्य वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि, पंचायत के उक्त लेखा खातों/अभिलेखों का अंकेक्षण के दौरान सत्यापन व प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 22-11-2024 द्वारा पंचायत सचिव से उक्त वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने को कहा गया जिसके जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि, उक्त समस्त अभिलेख/वित्तीय विवरण पंचायत में उपलब्ध नहीं है जिस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सके। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: उक्त अभिलेखों/वित्तीय विवरणों का संधारण न करना अथवा उनका पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध न होना न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु यह आपत्तिजनक भी है। इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.3 ग्राम पंचायत द्वारा महत्वपूर्ण रजिस्टरों अभिलेखों का रख-रखाव/संधारण न करना।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 29 से 31** व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम के **नियम 34** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों को अंकेक्षण के दौरान सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03 दिनांक 19-11-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा स्पष्ट किया कि, निम्न तालिका अनुसार कुछ रजिस्टरों/अभिलेखों का संधारण नहीं किया जा रहा है तथा कुछ का अपूर्ण है।

क्र०सं०	रजिस्टर /अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम	टिप्पणी
1.	बजट प्राक्कलन	11	37	अपूर्ण
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30	संधारित नहीं
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15 (1)	संधारित नहीं
4.	अनुदान रजिस्टर	21	61 (1)	संधारित नहीं
5.	वर्गीकृत सार	08	29 (4)	संधारित नहीं
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103	संधारित नहीं
7.	तकनीकी जाँच पड़ताल व मंजूरी आकलन	31	95 (1)	संधारित नहीं
8.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	26 व 25	72 (1) A B	संधारित नहीं
9.	बही खाता (Ledger)	07	29 (1 से 4)	अपूर्ण
10.	बिल रजिस्टर	13	48	संधारित नहीं
11.	ग्राम पंचायत का स्टॉक/सामग्री रजिस्टर	06 व 01	34	संधारित नहीं
12.	अंकेक्षण प्रतिवेदन/प्रतिवेदनों रजिस्टर	30	89	संधारित नहीं
13.	e-ग्राम swaraaj संधारित रोकड़ बहियाँ	-	-	अपूर्ण

ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्णित अधिकतर अभिलेखों को संधारित न करना व कुछ का अपूर्ण पाया जाना नियमानुसार अनुचित है। चूँकि गत अंकेक्षण में भी इस बारे आपत्ति दर्ज की गई थी परन्तु वर्तमान अंकेक्षण अवधि में भी इसकी पुनरावृत्ति किया जाना संदिग्ध व आपत्तिजनक है। अभिलेख विशेषकर बिल रजिस्टर, स्टोर/स्टॉक रजिस्टर व मासिक बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना न केवल प्रक्रियात्मक चूक है अपितु इनके अभाव में किसी वित्तीय अनियमितता की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

10.4 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 4** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व:-स्त्रोत)

के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्वः-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया है। अपितु अन्य अनुदानों 3rd/5th स्टेट के साथ एक बैंक खाता एवं एक ही रोकड़ बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 22-11-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्व-स्त्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा। उत्तर सन्तोषजनक नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

11. भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **<u>नियम 73</u>** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत हरिपुर की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 22-11-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, भविष्य में क्रय स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवा कर विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12. **लघु आपत्ति विवरणिका:-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13. **निष्कर्ष :-** उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत पंचायत के गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से सरकारी धन के दुर्विनियोजन की सम्भावना को पूर्णतः नकारा जा सके।

01 JAN 2025

(कृष्ण लाल नेगी) 01-01-25
सहायक निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2626670

28 – 32 का० /50

पृष्ठांकन संख्याः— फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (7) 105/2022 खण्ड—1 दिनांक शिमला—09
प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड चम्बा,, जिला चम्बा हि0प्र0।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत हरिपुर, विकास खण्ड चम्बा जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

01 JAN 2025

01-01-25
(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2626670

का०/50

परिशिष्ट "1" पैरा संख्या 4.1 में संदर्भित

Financial Position of GP HARIPUR for the Year 2022-2023 to 2023-2024

1. Own Sources.(3RD/5TH STATE)

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	2428738.00	741945.00	3170683.00	476868.00	2693815.00
2023-24	2693815.00	598548.00	3292363.00	823558.00	2468805.00

2. Grants in Aids

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	5232086.00	5412569.61	10644655.61	8634082.94	2010572.67
2023-24	2010572.67	3542814.00	5553386.67	4076708.00	1476678.67
					3945483.67

1+2 (2468805.00+1476678.67) Closing Balance as per Cash Books	3945483.67
Closing Balances as per Bank Pass Books as on 31-03-2024	4658636.99
Net Difference (less in Cash Book)	-713153.32

परिशिष्ट "2" पैरा संख्या 4.1 में सन्दर्भित

Financial Position Grants in Aids of GP Haripur for the Year 2022-2023 to 2023-2024

Sl...	Particulars	Year	Opening	Receipt	Total	Expenditure	Closing
1	MGNREGA	2022-23	0.00	2158653.00	2158653.00	2158653.00	0.00
		2023-24	0.00	3298338.00	3298338.00	3298338.00	0.00
2	14TH FC	2022-23	1736398.00	100247.00	1836645.00	1835306.00	1339.00
		2023-24	1339.00	5.00	1344.00	1344.00	0.00
3	SBM/TSC	2022-23	245043.00	13630.00	258673.00	258672.00	1.00
		2023-24	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	RELIEF	2022-23	5520.00	155.00	5675.00	0.00	5675.00
		2023-24	5675.00	158.00	5833.00	0.00	5833.00
5	PMGAY	2022-23	248980.00	255476.00	504456.00	564194.60	-59738.60
		2023-24	-59738.60	1646.00	-58092.60	46108.00	-104200.60
6	IAY	2022-23	15954.00	447.00	16401.00	0.00	16401.00
		2023-24	16401.00	457.00	16858.00	0.00	16858.00
7	IWMP	2022-23	413370.00	1047393.01	1460763.01	1796741.34	-335978.33
		2023-24	-335978.33	0.00	-335978.33	0.00	-335978.33
8	MMGSY/MGPY	2022-23	37851.00	1062.00	38913.00	0.00	38913.00
		2023-24	38913.00	1084.00	39997.00	0.00	39997.00
9	VKVNY	2022-23	43134.00	1369.04	44503.04	0.00	44503.04
		2023-24	44503.04	1239.00	45742.04	0.00	45742.04
10	SDP/DCP	2022-23	13242.00	372.40	13614.40	0.00	13614.40
		2023-24	13614.40	379.00	13993.40	0.00	13993.40
11	15TH FC	2022-23	2461851.00	1833464.00	4295315.00	2020516.00	2274799.00
		2023-24	2274799.00	239200.00	2513999.00	730917.00	1783082.00
12	RAY/AAY	2022-23	1937.00	54.00	1991.00	0.00	1991.00
		2023-24	1991.00	56.00	2047.00	0.00	2047.00
13	12TH FC	2022-23	8806.00	247.16	9053.16	0.00	9053.16
		2023-24	9053.16	252.00	9305.16	0.00	9305.16
			5232086.00	5412569.61	10644655.61	8634082.94	2010572.67
			2010572.67	3542814.00	5553386.67	4076708.00	1476678.67

33

Annexure "3" Store/ stock purchase Iregularties noticed in Codal Formalities in r/o GP Haripur Reffered in Audit Para 9.4

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	AMOUNT PAID	REMARKS
1	M/S Ajay Kumar Electrician	SF	37/	Wire, Fan fitting	4450.00	Qutations were not
	PO Sarol, Chamba		06-03-2024	Power, Light Fitting	15240.00	Invited for purchase
2	M/S Sharma Bartan Bhandar , VPO Bhadram, Chamba	SF	41 / 28-03-2024	Utensils	21000.00	Do
3	M/S Plaha General Store , Main Bazar Chamba	SF	42/ 28-03-2024	Stationery	10000.00	Do
4	M/S Sambyal Enterprises, Main Bazar Chamba	SF	43/ 28-03-2024	Printer & Antivirus	10000.00	do
5	M/S Sambyal Enterprises, Main Bazar Chamba	SF	45/ 28-03-2024	Printer Cartage	5080.00	Do & Cash Payment
6	M/S Plaha General Store , Main Bazar Chamba	SF	44/ 28-03-2024	Stationery	4950.00	Do
7	M/S Usha Electrical PO Bhadram, Chamba	SF	46/ 28-03-2024	Room Heater, LED	5277.00	Do
8	M/S Luxmi Hardware	15th FC	33-40/	Sand	109650.00	Do
	VPO Sarol, Chamba		23-03-2023	Aggre.	156820.00	Do
				Stone	111132.00	Do
9	M/S Luxmi Hardware	15th FC	33/	Sand	29460.00	Do
	VPO Sarol, Chamba		17-03-2023	Aggre.	63895.00	Do
				Stone	19500.00	Do
10	M/S Luxmi Hardware	15th FC	33-40/	Sand	109650.00	Do
	VPO Sarol, Chamba		23-03-2023	Aggre.	156820.00	Do
				Stone	111132.00	Do
				TOTAL	944056.00	

34

Annexure "4" Refferred in Audit Para 8.1

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER IN R/O GP HARIPUR TO WHOM PAYMENT MADE WITHOUT OBTAINING W, X, FORM W.E.F. 04/2022 TO 03/2024

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	AMOUNT PAID
1	M/S Luxmi Hardware	15th FC	03/	Sand	15.60	24.96	33060.00
	VPO Sarol, Chamba		20-04-2022	Aggre.	25.96	50.36	59605.00
				Stone	35.80	80.19	46540.00
2	M/S Luxmi Hardware	15th FC	04 & 06/22 &	Stone	27.00	60.48	35100.00
	VPO Sarol, Chamba		25-04-2022	Stone	12.00	26.88	15600.00
3	M/S Luxmi Hardware	15th FC	05/	Sand	6.45	10.32	13680.00
	VPO Sarol, Chamba		25-04-2022	Aggre.	12.94	25.10	29705.00
4	M/S Luxmi Hardware	15th FC	14 & 15/	Sand	43.04	68.86	9120.00
	VPO Sarol, Chamba		20-07-2022	Aggre.	8.49	16.47	19500.00
				Stone	8.67	19.42	19500.00
5	M/S Luxmi Hardware	15th FC	25 & 26/	Sand	6.17	9.87	13080.00
	VPO Sarol, Chamba		20-10-2022	Aggre.	10.90	21.15	25046.00
6	M/S Luxmi Hardware	15th FC	25 & 26/	Stone	23.22	52.01	30180.00
	VPO Sarol, Chamba		20-10-2022				
7	M/S Luxmi Hardware	15th FC	33/	Sand	13.90	22.24	29460.00
	VPO Sarol, Chamba		17-03-2023	Aggre.	27.83	53.99	63895.00
				Stone	15.00	33.60	19500.00
8	M/S Luxmi Hardware	15th FC	33-40/	Sand	51.13	81.81	109650.00
	VPO Sarol, Chamba		23-03-2023	Aggre.	66.38	128.78	156820.00
				Stone	82.32	184.40	111132.00
9	M/S Luxmi Hardware	15th FC	14 ,15 & 17/	Sand	28.23	45.17	59820.00
	VPO Sarol, Chamba		22-03-2024	Aggre.	10.53	20.43	24180.00
				Stone	12.10	27.10	20570.00
10	M/S Luxmi Hardware	MGREGA	NIL/	Sand	203.70	325.92	382469.72
	VPO Sarol, Chamba		01-03-2024	Aggre.	329.14	638.5316	694256.43
				Stone	207.00	463.68	279450.00
11	M/S Luxmi Hardware	MGREGA	NIL/	Sand	22.60	36.16	39889.00
	VPO Sarol, Chamba		07-01-2023	Aggre.	44.56	86.4464	86446.40
				Stone	52.00	116.48	65000.00
12	M/S Luxmi Hardware	MGREGA	NIL/	Sand	15.57	24.91	21235.20
	VPO Sarol, Chamba		25-05-2022	Stone	245.00	548.8	289706.45
				TOTAL	**1663.23**	**3304.53**	**2803196.20**

Rofferedin Audit Para no. 9.8

Annexure "5" Payment made without Proper/Tax Bill in R/o GP Haripur Chamba

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	AMOUNT PAID	Remarks
1	M/S Luxmi Hardware	15th FC	03/	PVC Pipe 4"x 20		Performa Bill
	VPO Sarol, Chamba		20-04-2022	52 pipe @ 2750 (3)	143000.00	Same dt. Bill
2	M/S Luxmi Hardware	15th FC	33-40/	Sand	109650.00	Do
	VPO Sarol, Chamba		23-03-2023	Aggre.	156820.00	Date on bill
				Stone	111132.00	was not mentioned
3	M/S Luxmi Hardware, VPO Sarol, Chamba	15th FC	15 & 17/22 & 26-03-2024	Paver Blocks 2977@18.18	54122.00	do
4	M/S Luxmi Hardware	15th FC	14 ,15 & 17/	Sand	59820.00	Performa Bill
	VPO Sarol, Chamba		22-03-2024	Aggre.	24180.00	do
				Stone	20570.00	do
5	M/S Luxmi Hardware	MGREGA	NIL/	Sand	382469.72	do
			01-03-2024	Aggre.	694256.43	do
				Stone	279450.00	do
6	M/S Luxmi Hardware	15th FC	33/	Sand	29460.00	do
	VPO Sarol, Chamba		17-03-2023	Aggre.	63895.00	do
				Stone	19500.00	do
7	M/S Luxmi Hardware	15th FC	33-40/	Sand	109650.00	do
	VPO Sarol, Chamba		23-03-2023	Aggre.	156820.00	do
				Stone	111132.00	
				TOTAL	**2525927.15**	

Annexure "6" Reffered in Para No.9.9 No Stock Entry Recorded In R/O GP Haripur

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	AMOUNT PAID
1	M/S Luxmi Hardware	15th FC	33-40/	Sand	109650.00
	VPO Sarol, Chamba		23-03-2023	Aggre.	156820.00
				Stone	111132.00
2	M/S Luxmi Hardware, VPO Sarol, Chamba	15th FC	15 & 17/22 & 26-03-2024	Paver Blocks 2977@18.18	54122.00
3	M/S Luxmi Hardware	15th FC	14 ,15 & 17/	Sand	59820.00
	VPO Sarol, Chamba		22-03-2024	Aggre.	24180.00
				Stone	20570.00
4	M/S Luxmi Hardware	MGREGA	NIL/	Sand	382469.72
			01-03-2024	Aggre.	694256.43
				Stone	279450.00
5	M/S Luxmi Hardware	15th FC	33/	Sand	29460.00
	VPO Sarol, Chamba		17-03-2023	Aggre.	63895.00
				Stone	19500.00
6	M/S Luxmi Hardware	15th FC	33-40/	Sand	109650.00
	VPO Sarol, Chamba		23-03-2023	Aggre.	156820.00
				Stone	111132.00
7	M/S Ajay Kumar Electrician	SF	37/	Wire, Fan fitting	4450.00
	PO Sarol, Chamba		06-03-2024	Power, Light Fittin	15240.00
8	M/S Sharma Bartan Bhandar , VPO Bhadram, Chamba	SF	41 / 28-03-2024	Utensils	21000.00
9	M/S Plaha General Store , Main Bazar Chamba	SF	42/ 28-03-2024	Stationery	10000.00
10	M/S Sambyal Enterprises, Main Bazar Chamba	SF	43/ 28-03-2024	Printer & Antivirus	10000.00
11	M/S Sambyal Enterprises, Main Bazar Chamba	SF	45/ 28-03-2024	Printer Cartage	5080.00
12	M/S Plaha General Store , Main Bazar Chamba	SF	44/ 28-03-2024	Stationery	4950.00
13	M/S Usha Electrical PO Bhadram, Chamba	SF	46/ 28-03-2024	Room Heater, LED	5277.00
				TOTAL	2458924.15

37

8.3

Annexure "7" Reffered in Para No.A Payment made without Deducted Voids in Stone In R/O GP Haripur

SR NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	AMOUNT PAID	Voids 12.50%	Amount Should be
1	M/S Luxmi Hardware	15th FC	03/	Stone	35.80	80.19	46540.00	5817.50	40722.50
	VPO Sarol, Chamba		20-04-2022					0.00	0.00
2	M/S Luxmi Hardware	15th FC	04 & 06/22 &	Stone	27.00	60.48	35100.00	4387.50	30712.50
	VPO Sarol, Chamba		25-04-2022	Stone	12.00	26.88	15600.00	1950.00	13650.00
3	M/S Luxmi Hardware	15th FC	14 & 15/	Stone	8.67	19.42	19500.00	2437.50	17062.50
	VPO Sarol, Chamba		20-07-2022					0.00	0.00
4	M/S Luxmi Hardware	15th FC	25 & 26/	Stone	23.22	52.01	30180.00	3772.50	26407.50
	VPO Sarol, Chamba		20-10-2022					0.00	0.00
5	M/S Luxmi Hardware	15th FC	33/	Stone	15.00	33.60	19500.00	2437.50	17062.50
	VPO Sarol, Chamba		17-03-2023					0.00	0.00
6	M/S Luxmi Hardware	15th FC	33-40/	Stone	82.32	184.40	111132.00	13891.50	97240.50
	VPO Sarol, Chamba		23-03-2023					0.00	0.00
7	M/S Luxmi Hardware	15th FC	14 ,15 & 17/	Stone	12.10	27.10	20570.00	2571.25	17998.75
	VPO Sarol, Chamba		22-03-2024					0.00	0.00
8	M/S Luxmi Hardware	MGREGA	NIL/	Stone	207.00	463.68	279450.00	34931.25	244518.75
	VPO Sarol, Chamba		01-03-2024					0.00	0.00
9	M/S Luxmi Hardware	MGREGA	NIL/	Stone	52.00	116.48	65000.00	8125.00	56875.00
	VPO Sarol, Chamba		07-01-2023					0.00	0.00
10	M/S Luxmi Hardware	MGREGA	NIL/	Stone	245.00	548.8	289706.45	36213.31	253493.14
	VPO Sarol, Chamba		25-05-2022					0.00	0.00
				TOTAL	**720.11**	**1613.05**	**932278.5**	**116534.81**	**815743.64**

38

Annexure "8" Reffered in Audit Para 9.1

Detail of Revolving fund Distributed to Various Self Help Groups in r/o Gram Panchayat Haripur

SR. NO	VOUCHER NO./DATE	NAME OF FUND	AMOUNT	Remarks
1	02/30-11-2022	Self Help Group Chamunda-1	25000.00	Not refunded
2	03/30-11-2022	Self Help Group Asha	25000.00	do
3	04/30-11-2022	Self Help Group Shakti	25000.00	do
4	05/30-11-2022	Self Help Group Jalpa	25000.00	do
5	06/30-11-2022	Self Help Group Kiran	25000.00	do
6	07/30-11-2022	Self Help Group Saheli	25000.00	do
7	08/30-11-2022	Self Help Group Raghav	25000.00	do
8	09/30-11-2022	Self Help Group Chamunda-2	25000.00	do
9	10/30-11-2022	Self Help Group Seva	25000.00	do
10	11/30-11-2022	Self Help Group Pooja	25000.00	do
11	12/30-11-2022	Self Help Group Chamunda-3	25000.00	do
12	13/30-11-2022	Self Help Group Aastha	25000.00	do
		TOTAL	**300000.00**	